हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 11
1 Aug 2025

फिर श्मशान बना एनएच, सरगांव के पास ट्रक ने 19 मवेशियों को कुचला

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिलासपुर

एक बार फिर नेशनल हाइवे मवेशियों का श्मशान बना, सरगांव के पास भारी वाहन के ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक चलाते सड़क पर झुंड बनाकर बैठे मवेशियों को कुचल दिया। हादसे में 16 मवेशियों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। आलम यह है कि एक पखवाड़े के भीतर नेशनल हाइवे में 53 मवेशियों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात वाहन के ड्राइवर के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है।

सरगांव थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया, बुधवार को देर रात रायपुर बिलासपुर नेशनल हाइवे सरगांव किरना के पास मवेशी झुंड बनाकर सड़क पर बैठे थे। इसी दौरान अज्ञात भारी वाहन के ड्राइवर ने मवेशियों को कुचल दिया और भाग निकला। हादसे में 12 मवेशी व 4 बछड़ों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। गुरूवार की सुबह गांव वाले उस ओर गए तो हादसे की जानकारी मिली, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।

चक्काजाम के बाद एफआईआर दर्ज

मवेशियों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे पर चक्काजाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आंदोलनकारी वाहन चालक के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आनन फानन में कोटवार किरना निवासी नारायण दास की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन के ड्राइवर के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 291, 325 के तहत जुर्म दर्ज किया। उसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ और आवागमन सामान्य हो पाया है। नेशनल हाइवे पर मवेशियों की मौत की खबर मिलते ही मुंगेली जिला के कलेक्टर, एसपी ने मौके में जाकर अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को वाहन चालक के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

हाईकोर्ट सख्त, कहा- अब हम एक्शन लेंगे

बिलासपुर। हाईकोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सड़कों में लगातार मवेशियों की मौत और बढ़ रहे हादसों को लेकर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने सख्ती से इस मामले पर संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए हैं। गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में डिवीजन बेंच ने सख्ती से इस मामले में कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान दामाखेड़ा के पास हुए हादसे में 9 गायों की मौत का मामला भी प्रकाश में लाया गया। वहीं 14 जुलाई 2025 की रात बारीडीह गांव के पास सड़क पर मवेशियों का एक झुंड को रात लगभग 1 बजे एक अज्ञात वाहन के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से चलाए जाने के कारण 14 से 17 गायों की मौत की घटना में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के मामले सहित अन्य घटनाओं के मामले में आदेश के अनुपालन के बारे में पूछा। इसपर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने 4 गौ मालिकों पर एफआईआर किए जाने की जानकारी दी। राज्य सरकार की तरफ जिला स्तर पर 40 लाख स्वीकृत कर शेड बनाए जाने और 9 नई जगह चिन्हांकित किए जाने की जानकारी दी। हाइवे में बैठे मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी लगाई जा रही है।

से
ए।
है।
के
नों
ने
ष्ट्र
ाढे
क्री
या
जा